

दोषों का अधिकार का निर्धारण हेतु आत्म छापे पत्र को
हेतु व्यायक्ति में अंतिम अवसर दिया जाता है।
पत्रावली करते तामिल दिनांक 20.11.24 को
पत्र हो।

20.11.24

पत्रावली पत्र हुई। जहाँ आधिकारिता उपस्थित नहीं
प्रकरण लम्बे समय से तामिल हेतु नियत हेतु जहाँ
उपस्थित नहीं हेतु प्रकरण का मूल बाद अदम दण्ड
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है - पुकारे।

अतः पार्थना पत्र भी आदेश 9 निका 8 के तहत
अदम दण्ड - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय
शेरे 2 जलास मुवाया गया। प्रकरण के तल शुमार होकर नंबर
से कम हो।

ॐ

(रिया डबो)

IA3